भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3304

उत्तर देने की तारीख-16/12/2024

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के अनुसार पीडब्ल्यूडी-सामान्य श्रेणी के लिए संकाय भर्ती

†3304. श्री कीर्ति आज़ाद:
श्री कार्ती पी. चिदम्बरम:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी आईआईटी, आईआईएससी, आईआईएसईआर, आईआईएम, एनआईटी, आईआईईएसटी, आईएसआई, आईआईआईटी या अन्य सरकारी वित्तपोषित संस्थानों ने दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 के अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी)-सामान्य श्रेणियों के लिए सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसरों की भर्ती की है, और यदि हां, तो प्राप्त आवेदनों और चयनित उम्मीदवारों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या दिव्यांग-सामान्य श्रेणी के लिए कोई परिणाम एक वर्ष से अधिक समय से घोषित नहीं किया गया है और यदि हां, तो परिणाम घोषित करने की अपेक्षित तिथि और देरी के कारण क्या हैं;
(ग) क्या संस्थानों ने दिव्यांग श्रेणी के तहत रोस्टर-वार संकाय रिक्तियों को सरकार को प्रस्तुत किया है;
(घ) उन संस्थानों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने सरकार द्वारा निर्दिष्ट योग्यता का पालन किया है और दिव्यांग उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान किया है; और
(ङ) क्या सरकार ने दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आयु भेदभाव के बिना समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्रवाई की है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ङ): शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थान (सीएचईआई) जिनमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईईएसटी), भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) आदि शामिल हैं, सांविधिक स्वायत्त संगठन हैं, जो संसद के संबंधित केंद्रीय अधिनियमों के तहत

स्थापित किए जाते हैं और उनके तहत बनाए गए अधिनियमों/संविधि/अध्यादेशों/विनियमों के प्रावधानों द्वारा शासित किए जाते हैं। स्वायत्त संस्थानों के रूप में, संकाय की भर्ती संस्थानों द्वारा ही उनके अधिनियमों और विनियमों के अनुसार और केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 और दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार की जाती है। भर्ती संबंधी शक्तियां संबंधित शासक मंडल (बीओजी)/कार्यकारी समिति/प्रबंधन बोर्ड के पास निहित हैं और इसमें मंत्रालय की कोई सक्रिय भूमिका नहीं है।

भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तत्वावधान में भारतीय सांख्यिकी संस्थान अधिनियम, 1959 के अनुसार सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी है।

रिक्तियों का उत्पन्न होना और उनका भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है। पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, मृत्यु, नए संस्थानों के खुलने, योजनाओं या परियोजनाओं तथा मौजूदा संस्थानों में छात्रों की संख्या में वृद्धि और क्षमता के विस्तार संबंधी अतिरिक्त आवश्यकताओं के कारण रिक्तियां उत्पन्न होती हैं।

शिक्षा मंत्रालय ने सभी सीएचईआई को मिशन मोड में रिक्तियों को भरने के लिए प्रेरित किया था। सीएचईआई ने अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) सहित रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया। सितंबर 2022 से, सभी सीएचईआई ने अ.जा., अ.ज.जा, अ.पि.व. और पीडबल्यूडी सहित रिक्तियों को भरने के लिए मिशन मोड भर्ती अभियान चलाया है। दिनांक 29.10.2024 तक, सभी सीएचईआई द्वारा मिशन मोड में कुल 25,777 पद भरे गए हैं, जिनमें 15,139 संकाय सहित 256 पीडबल्यूडी शामिल थे।

आईएसआई ने अ.जा, अज.जा, अ.पि.व. और दिव्यांगों के रिक्त पदों को भरने के लिए मिशन मोड भर्ती अभियान भी चलाया है और 29.10.2024 तक 18 संकाय सहित कुल 80 पदों को भरा है।

संकाय भर्ती प्रक्रिया बहु-चरणीय और मजबूत जांच प्रक्रिया के अंग के रूप में पारदर्शी तरीके से आवेदन आमंत्रित करके सीएचईआई द्वारा की जाती है। विभिन्न संस्थानों के अधिनियम और क़ानून चयन समितियों की संरचना, विभिन्न स्तरों के संकाय की भर्ती के लिए जिम्मेदार प्राधिकारियों, स्वतंत्र विषय विशेषज्ञों और आंगतुक के नामांकित व्यक्तियों आदि का प्रावधान निर्दिष्ट करते हैं ताकि भर्तियों में पारदर्शिता और अकादमिक सख़्ती सुनिश्चित की जा सके। यूजीसी ने संकाय भर्ती के लिए एक साझा पोर्टल 'सीयू-चयन' आरंभ किया है, जिसमें सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्तियों/विज्ञापनों/नौकरियों को सूचीबद्ध करने का प्रावधान किया गया है, जिससे पूरी भर्ती प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी और सुलभ हो गई है।

*****